निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 47/2019
दायरा दिनांकः—31.07.2019
निर्णय दिनांकः— 30.10.24

उनवान

1. प्रिया नागर आयु 15 वर्ष नाबालिंग पुत्री स्व0 सत्यनारायण जाति धाकड
2. सपना नागर आयु 13 वर्ष नाबालिंग पुत्री स्व0 सत्यनारायण जाति धाकड
3. खुशबु नागर आयु 10 वर्ष नाबालिंग पुत्री स्व0 सत्यनारायण जाति धाकड निवासीगण कडैयावन तहसील छबडा हाल निवासी ढोलम तहसील छीपाबडौद जिला बारां नाबालिंग वली सरपस्त नाना रामदयाल आयु 59 वर्ष आत्मज रामनारायण जाति धाकड निवासी ढोलम तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज0

बनाम

1. कल्याण (रामकल्याण) आयु 66 वर्ष आत्मज नाथुलाल जाति धाकड निवासी कडैयावन
2. नाथी बाई आयु 64 वर्ष पत्नि कल्याण (रामकल्याण) जाति धाकड निवासी कडैयावन
3. राजु आयु 40 वर्ष आत्मज कल्याण (रामकल्याण) जाति धाकड निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः—30.10.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान बलरिया — प्रार्थी
2. श्री राकेश गालव — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण एक ही संयुक्त अविभाजित हिन्दु परिवार के सदस्य हैं जिनकी पैत्रिक सम्पतिं व कृषि भूमि वाके ग्राम माल कडैयाबन तहसील छबडा भूमि खसरा नं. 405 रकबा 9 बीघा 11 विस्वा खसरा. न. 426/1 रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा खसरा.न. 755 रकबा 2 बीघा 17 विस्वा खसरा.न. 757 रकबा 1 बीघा 06 विस्वा, खसरा.न. 758 रकबा 6 विस्वा कुल 5 किता कुल रकबा 25 बीघा 01 विस्वा जो वर्तमान मे प्रतिवादी न.1 कल्याण (रामकल्याण) एवं खसरा नं 514 रकबा 5 बीघा 13 विस्वा प्रतिवादी न 2 नाथीबाई की खातेदारी वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड मे दर्ज है। जिनकी नकल जमाबन्दी संलगन वाद पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीया क्रम 1 लगायत 3 के पिता श्री सत्यनारायण नागर की मृत्यु दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

2009 को हो चुकी है। तथा इनकी माता सीमाबाई द्वारा पुनः विवाह कर अन्यत्र निवास कर रही हैं। गत एक साल से अप्रार्थीगण द्वारा अर्थीया नाबालिग बच्चीयों को घर से निकाल दिया तभी से वह बेसहारा हो गयी हैं जो मजबूरी मे अपने सगे नाना रामदयाल आयु 59 वर्ष आत्मज रामनारायण जाति धाकड निवासी ढोलम तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज. के यहां उनकी संरक्षता में ग्राम ढोलम तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज. मे निवास कर रही है। जिन्हें इस प्रार्थना पत्र व वाद मे इनका वाद मित्र बनाया गया हैं। प्रार्थीया के दादा–दादी पितामह मातामह द्वारा प्रार्थीया के पिता के जीवनकाल में अपनी उक्त भूमि को मौखिक रूप से तीन समान भागो मे बटवारां कर रखा था। प्रार्थीया के पिता एवं अप्रार्थीगण ने अपने संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से प्रतिवादी 1 व 2 की पुत्रीयों द्वारकाबाई, रोशनबाई, चन्द्रकला, सुशीलाबाई व नटटीबाई की शादी विवाह अच्छी तरह से किया तथा उनके हिस्से के मुताबिक धन सम्पत्ति नगदी, जेवरात दिया गया जिसे लेकर वह अपने–अपने ससूराल मे अपने पति बच्चों के साथ राजी खुशी रह रही है। उनके द्वारा अपनी स्वेच्छा से अपना हिस्सा अपने माता पिता व भाईयों के पक्ष मे त्याग दिया गया। आपसी सहमति से किया गया पारिवारिक विभाजन के अनुसार प्रार्थीया के पिता का विवादीत आराजी मे हिस्सा 1/3 हैं उक्त आराजी प्रार्थीनी की पैत्रिक भूमि प्रार्थीया के दादा–दादी पितामह मातामह की हैं जो पूर्वजो व संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होने से वह अपना हिस्सा 1/3 का बटवारा कराना चाहती हैं जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो प्रार्थीया अपनी माता के साथ अप्रार्थीगण के यहां रही। इसके बाद पहले तो प्रार्थीया की माता सीमाबाई को मारपीट कर घर से भगा दिया व बच्चो से भी नही मिलने दिया। जिसके कारण मजबूरी मे सीमाबाई को पुनः विवाह करना पड़ा। इसके पश्चात् अप्रार्थीगण ने गत वर्ष प्रार्थीया को भी अपने घर से भगा दिया। जो मजबूरी में अपने सगे नाना सगे रामदयाल के पास ढोलम में निवास कर रही है। वर्तमान में प्रार्थीयागण नाबालिग बेसहारा हैं जिनके पास आय का कोई श्रोत नहीं है। प्रार्थीयागण की पढाई शिक्षा चल रही है जिन्हें अपने भविष्य शिक्षा भरण–पोषण आदि के लिए पर्याप्त धन राशि की आवश्यकता है। प्रार्थीनी का एक मात्र आय का साधन उक्त पैत्रिक सम्पत्ति हैं। जो अप्रार्थीगण के पास है। जिसके लिए प्रार्थीया व उनके रिस्तेदारो द्वारा अप्रार्थीगण से अमी को अपने पास रखकर उनके भरण–पोषण व शिक्षा दिशा व देख–रेख बालिकं होने पर उनकी शादी आदि के बारे में कहां तो अप्रार्थी आक्रोश में आ गऐ उन्हें गन्दी गन्दी गालियां दी तथा धमकी दी की जमीन तो हमारे नाम है इसे कभी भी वैचान, अन्तरण कर देगे। इनका (प्रार्थीनी) का कोई हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 बुजुर्ग हालात में हैं जिनकी वर्तमान में उनकी सोचने सुनने–समझने की क्षमता कम होने के कारण इसका समस्त गलत फायदा अभी न. ३ उठा रहा है। तथा जमीन बैचने पर आमादा है। छार्थीनी तथा प्रार्षीया की कोई देख–रेख पालन–पोषण नही किया जा रहा है। जो उनकी नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी है। विवादीत आराजी के अप्रार्थी क्रम 1 व 2 खातेदार एवं प्रार्थीनी व अप्रार्थी क्रम 3 उक्त आराजी के सहभागीदार एवं एक ही वंशावली व संयुक्त परिवार के सदस्य हैं उक्त आराजी इनकी पैत्रिक होने से उनका हिस्सा 1/3 होने से उसे अपनी खातेदारी में दर्ज कराने व इसी प्रकार बटवारा कराने की कानूनी अधिकारी है। अप्रार्थी न. 3 प्रार्थीनी की उक्त पैत्रिक भूमि जो अप्रार्थी न. 1 व 2 बुजुर्ग के नाम होने का गलत फायदा उठाते हुऐ उनकी जमीन पेत्रिक भूमि को बिना बटवारां सम्पूर्ण भूमि को प्रोपर्टी डिलर के माध्यम से खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार नही हैं। इसलिए वादनी पैत्रिक सम्पति कृषि भूमि मके रेवेन्यू रिकार्ड मे अपना

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

म दर्ज कराने व बटवारा कराना चाहती है जिसका प्रार्थीनी वैधानिक अधिकारी है जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। दिनांक 7.8.2009 को जब वादनीयों के पिता की मृत्यु हो जाने पर वादीया नाबालिग बेसहारा होने तथा जिनके पास आय व भरण–पोषण आदि का कोई श्रोत समाप्त होने। इसके पश्चात् प्रार्थीया की पढाई शिक्षा चल रही हैं जिन्है अपने भविष्य शिक्षा भरण–पोषण आदि के लिऐ पर्याप्त धन राशि की आवश्यकता होने पर पुनः दिनांक 25.6.2019 को प्रार्थीया व उनके नाना रामदयाल एंव रिस्तेदारो द्वारा अप्रार्थीगण से प्रार्थीनीयों को अपने पास रखकर उनके भरण–पोषण व शिक्षा दिशा व देख–रेख व उनके बालिग होने पर उनकी शादी आदि के बारे में कहां तो अप्रार्थी आक्रोश में आ गए उन्हें गन्दी गन्दी गालियां दी तथा उक्त विवादीत आराजी का अन्तरण करने की धमकी दी। अप्रार्थीगण खातेदार को वर्तमान में किसी भी प्रकार की आर्थिक व निजी आवश्यकता नहीं और ना ही कोई कर्ज अदायगी बकाया है। प्रार्थीनी के हक अधिकार को समाप्त करने की नियत से पैत्रिक भूमि का बिना बटवारां अन्तरण करने पर आमादा है इसलिऐ उक्त कृत्य नही करने हेतु उन्है द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की वादनी वैधानिक अधिकारी है जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। अप्रार्थी द्वारा विवादीत प्रार्थीनी की पैत्रिक आराजी का बैचान. अन्तरण बिना विभाजन विधि विरूध जमीन को खुर्द–बुर्द चुपचाप अन्तरण अतिक्रमण ना करे इस सन्दर्भ में प्राचीनी द्वारा किये गए सभी प्रयास विफल होने पर प्रार्थीनी द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। प्रार्थीनी क्रम 1 ता 3 नाबालिग है जो अपने नाना रामदयाल आयु 59 वर्ष आत्मज रामनारायण जाति धाकड निवासी ढोलम तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज. की संरक्षता निवास कर रही है उक्त वाद मे वादनी नाबालिगं का वली सरपस्त संरक्षक नाना रामयाल को वाद मित्र द्वारा यह वाद प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि अप्रार्थी द्वारा विवादीत आराजी का चुपचाप अन्तरण रहन वै आदि कर लिया तो अकारण ही छार्थी को कई प्रकरणों में उलझना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप छार्थीगण को अपिरिमित क्षति होगी। जिसकी आपूर्ति असम्भव है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 47 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2074–77 खाता 176 फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र फोटो प्रति मूल निवास प्रमाण पत्र फोटो प्रति आधार कार्ड प्रिया नागर फोटो प्रति आधार कार्ड सपना नागर फोटो प्रति सपना की बालिका सीनियर सेकेन्ड्ररी स्कूल ढोलम की अंक तालिका। प्रिया नागर की अंक तालिका एस.बी.जी.मॉडल स्कूल ब्लॉक छबडा फोटो प्रति प्रिया नागर की टी.सी. एस.बी.जी मॉडल स्कूल ब्लॉक छबडा पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा में स्थित है। जो वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीयागण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रार्थीगण के पिता सत्यानारायण नागर की मृत्यु दिनांक 07.08.2009 को हो चुकी है प्रार्थीगण की माता ने पुनः विवाह कर लिया है प्रार्थीयागण को अप्रार्थीगण द्वारा घर से निकाल दिया गया है प्रार्थीगण अपने नाना रामदयाल निवासी ढोलम तहसील छीपाबडौद

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

यह रह रही है। विवादित आराजी को आपसी सहमति से बटवारा कर दिया पिता का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा है उक्त विवादित आराजी प्रार्थीयागण की पैत्रक आराजी है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 बुजुर्ग है। अप्रार्थी क्रम 3 अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का नाजायज फायदा उठा कर जमीन को बेचने पर आमादा है। प्रार्थीयागण की कोई देख नही की जा रही है प्रार्थीयागण व अप्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है पैत्रक आराजी होने से प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा होने से खातेदारी में दर्ज कराने की अधिकारी है अप्रार्थी क्रम 3 भूमि को खुर्द-बुर्द रहन बेचान करने पर आमादा है अप्रार्थीगण को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 2 व 3 को गलत पक्षकार बनाया है पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है विवादित भूमि का खातेदार अप्रार्थी क्रम 1 है जो वर्तमान में जिन्दा है परिवार का मुखिया है खातेदार की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का नाम खातेदारी में स्वतः ही दर्ज हो जाएगा। अप्रार्थी क्रम 1 ने भूमि का कोई मौखिक बटवारा नही किया है सम्पूर्ण परिवार शामिल में रहता है अप्रार्थी क्रम 2 के खातेदारी की भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति है उसके जीवनकाल में कोई बटवारा नही करवा सकता है प्रार्थीया क्रम 3 खुशबु अपनी मां के साथ रहती है जहां उसकी मां सीमा ने नाता विाह किया है। नाना ने प्रार्थीया क्रम 3 खुशबु को गलत पक्षकार बनाकर वाद मित्र बनकर झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीयागण अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की पौत्रिया है जिसको उनका नाना वाद मित्र बनकर जमीन हडपने की गरज से जबरन अपने साथ ले गया है तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के खिलाफ झुठा मुकदमा किया है अप्रार्थी क्रम 1 अपनी पैत्रियों को अपने साथ रखना चाहता है पढाई लिखाई शादी ब्याह उनकी अवेर सवेर करना चाहता है परन्तु उनका नाना प्रार्थीगण को उनके दादा के पास नही रहने देता जमीन हडपने के उद्धेश्य से अपने साथ रखता है। प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 47 में कल्याण पुत्र नाथु जाति धाकड के पास दर्ज होना पाया जाता है नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2074-77 खाता 176 में नाथीबाई पत्नि कल्याण जाति धाकड निवासी कडैयावन का नाम दर्ज रिकार्ड है फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड के अनुसार मुखिया का नाम रामकल्याण पुत्र नाथुलाल के नाम से बना हुआ है जिसमें तीन सदस्य है रामकल्याण नाथीबाई प्रिया अंकित है फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 29.08.2009 में सत्यनारायण पुत्र रामकल्याण की मृत्यु दिनांक 07.08.2009 को होना दर्ज है। प्रार्थीयागण को स्कुल अंक तालिका से यह साबित होता है कि मृतक सत्यनारायण पुत्र रामकल्याण की तीन पुत्रिया है मृतक सत्यनारायण रामकल्याण का पुत्र था। प्रार्थीयागण नाबालिग है नाबालिग का वाद मित्र नाना द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अप्रार्थी क्रम विवादित आराजी को बेचान करना चाहता है विवादित आराजी पैत्रक भूमि है। जिसमें प्रार्थीयागण का हिस्सा निहित है। जिसका निर्धारण मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतों के आधार पर किया जाएगा। अतः मूल वाद निर्णित होने तक अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा भूमि का बेचान कर दिया तो प्रार्थीयागण को अपरिमित क्षति होगी प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है ऐसी स्थिति में प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा के खसरा नम्बर 405 रकबा 9.11 बीघा खसरा नम्बर 426/1 रकबा 11.01 बीघा खसरा नम्बर 755 रकबा 2.17 बीघा खसरा नम्बर 757 रकबा 1.06 बीघा खसरा नम्बर 758 रकबा 06 बिस्वा के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी छबडा
छबड़ा (बारां)